मिसिल सं0 04-9/2011- से0पू0 अनुभाग
भारत सरकार
केंद्रीय हिंदी निदेशालय
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

<u>वाहन किराए पर लेने हेतु निविदा आंमत्रण सूचनाः-</u>

दोहरी-बोली पद्घति आधार पर अनुभवी ट्रांसपोर्टरों से केंद्रीय हिंदी निदेशालय अपने,पश्चिमी खंड-7, आर0के0 पुरम,नई दिल्ली-110066.में स्थित कार्यालय के प्रयोग हेतु वाहन की आपूर्ति (चालक रहित) किराए के आधार पर तीन वर्ष की अवधि के लिए मुंहरबंद निविदाएं आंमत्रित करता है। निविदाएं प्रस्तुत/प्राप्ति की अंतिम तिथि 30-8-2012 को 1.00 बजे अपराहन् है, जिन्हे उसी दिन,इस कार्य हेतु गठित समिति द्वारा निविदाकारों अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 3.00 बजे कें0हिं0 निदेशालय,पश्चिमी खंड-7,रा0कृ0 पुरम,नई दिल्ली-66.में खोली जाएंगी । निविदाएं खोलने की तिथि को सरकार द्वारा अवकाश घोषित किए जाने की स्थिति में निविदाएं अगले कार्य दिवस को पूर्व निर्धारित समय पर खोली जाएंगी,किंतु निविदा पेटी उपर्युक्तानुसार निर्धारित समय के अनुसार सील कर दिया जाएंगा । उक्त निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।अन्य शर्ते निदेशालय के वैबसाइट WWW.hindi nideshalaya.nic.in पर देखें।

प्रशासनिक अधिकारी

निदेशक,केंद्रीय हिंदी निदेशालय, ,पश्चिमी खंड-7, आर0के0 पुरम,नई दिल्ली-110066.के कार्यालय प्रयोग हेतु वाहन का वार्षिक संविदा आधार पर किराए पर लेने हेतु निविदा के निबंधन एवं शर्ते इस प्रकार हैः-

1. अनुभवी,आर्थिक दृष्टि से सुदृढ एवं पात्र निविदाकारों से कें0हिं0नि0 के,नई दिल्ली-66. स्थित मुख्यालय हेतु,संविदा आधार पर वाहन (वातानुकूलित/गैर वातानुकूलित कार) अच्छी स्थिति की चालक रहित सेवाए प्रदत्त कराने हेतु मुंहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

2. निविदाकार को कें0हिं0 निदेशालय के कार्यालय के उपयोग के संबंध में वाहन किराए पर लिए जाने हेतु पूरे ठेके के लिए मासिक आधार पर एकल उत्तरदायित्व लेते हुए भारतीय मुद्रा में दरें भरनी चाहिए,निविदाकार द्वारा निविदा में शामिल सभी दायित्वों व किसी कारणवश निविदा दस्तावेजों में छूट गए दायित्वों को ध्यान में रखते हुए दरें भरना चाहिए।

3. अपूर्ण एवं सशर्त निविदा को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। विलंब से प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा ।

4 निविदा प्रस्तुत करने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए निविदा के खुलने की स्वीकार्यता एवं वैधता बनी रहेगी।

5 किलो मीटर दूरी और घंटो के लिए मासिक अवश्यकता प्रतिकार 80--किलो मीटर और 8-घंटे होगी । अतिरिक्त कि0 मीटर एवं अतिरिक्त घंटों के लिए प्रभार का अलग से उल्लेख किया जाना चाहिए ।

6 संविदा तीन वर्षो की अवधि के लिए वैध होगी। कें0हिं0नि0 के पास संविदा को अपने स्वविवेक से उन्हीं दरों, निबंधनों एवं शर्तो के आधार पर इसकी वैधता की अवधि को घटाने एवं बढाने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

-कृ0पृ030-2-